	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

के.रा.फा./सूरत./2–271/जूली./2020–21/ दिनांक 30.09.2020

निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के खण्ड न. 2 व 3 में खड़े पेड़ों की 8–10 फीट ऊँचाई तक की 4 इंच मोटी लकडीयों की छंगाई करके ले जानें** हेतु इच्छुक ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें खण्डवार दिनांक 23.010.2020 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपह्यन 2:30 बजे खोली जायेगी। एक ठेकेदार केवल एक ही खण्ड में भाग ले सकेगा। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 23.10.2020 को दोपहर 12:15 बजे तक किया जायेगा। उपरोक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रुपये 20,000.00 प्रति खण्ड (रुपये बीस हजार प्रति खण्ड मात्र) का बैक डिमान्ड–ड्राफ्ट/**RTGS/NEFT/Online** जो कि **नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, के** पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ (फार्म का खाता नं.34056542572, IFSC कोड नम्बर SBIN0007774) पर देय हो, निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्ते किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236/– का डिमान्ड–ड्राफ्ट, RTGS/NEFT/ONLINE के माध्यम से फार्म के बैंक खातें में जमाकर, जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक का खाता का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते अपरमहाप्रबंधक (फार्म)

	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509-223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

क्रमांकः के.रा.फा. / सूरत. / 2–271 / जूली. / 2020–21 / दिनांक 30.09.2020.

निविदा प्रपत्र

फार्म की निविदा सूचना क्रमांक के.रा.फा. / सूरत. / 2–271 / जूली. / 2020–21 / दिनांक 30.09.2020 निविदा के अनुसार फार्म खण्ड़ न. 2 व 3 में खड़े पेड़ों की 8–10 फीट ऊँचाई तक की 4 इंच मोटी लकडीयों की छंगाई करके ले जानें हेतु इच्छुक ठेकेदारों हेतु निविदा आमंत्रित की गई है, उसमे वर्णित कार्यो हेतु अपनी प्रस्तावित दर दे रहा हूँ। मैने नियम व शर्तो के अनुसार इस निविदा में भाग लेने के आवश्यक रूपये 20,000 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) का डिमान्ड ड्रॉफ्ट धरोहर राशि के रूप मे जमा/ RTGS/NEFT/Online जमा करवाकर रसीद साथ मे संलग्न कर रहा हूँ । मैने निर्धारित नियम –शर्तें ध्यान से पढ ली है। मै निर्धारित नियम एंव शर्तो के अनुसार कार्य करूगाँ।

1. निविदादाता का नाम :..
2. पिता/पति का नाम :...
3. पूरा पता :...
4. दूरभाष नंबर/ मोबाईल नं. :..
5. बैंक का नाम एवं पता ,खाता नं. एवं IFSC Code :..
....
6. पैन नं. :...(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. पहचान पत्र नं.(वोटर आई.डी., आधार कार्ड आदि) ....(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।)
8. निविदा शुल्क (रू. 236/–) : रसीद सं ....दिनांक ....अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सं/RTGS/NEFT नं. ....दिनांक जारी कर्ता बैंक ....शाखा ....(ड्राफ्ट संलग्न)
9. जे.सी.बी. एवं कुत्तर की मशीनों की सूची एवं संख्या (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

क्रमांक	कार्य का विवरण	खण्ड न.	दर प्रति क्विंटल तौल के आधार पर (छंगाई करके ले जाने हेतू)
1	फार्म के खण्ड़ न. 2 व 3 में खड़े पेड़ों की 8–10 फीट ऊँचाई तक की 4 इंच मोटी लकडीयों की छंगाई करके ले जानें हेतू कार्य के लिए	खण्ड दो	
		खण्ड तीन	

हस्ताक्षर...

(ठेकेदार का नाम व पता)..

....

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

खडे पेड़ो की 8–10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके ले जाने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा/बोलीदाता को निविदा/बोली में भाग लेने से पूर्व फार्म खजांची के पास धरोहर राशि के रूप में रूपये 20,000/– मात्र का डीडी प्रत्येक खण्ड के लिए जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,** के नाम से बना हो और **सूरतगढ़** देय हो, प्रत्येक खण्ड के लिये सायं 1.00 बजे तक जमा कराना होगा। खडे पेड़ो की 8–10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके ले जाना होगा। निविदाऐं सायं 2.30 बजे खोली जाएगी। सफल निविदादाता को यह राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा असफल बोलीदाता/निविदादाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी।
2. एक ठेकेदार केवल एक ही खण्ड में भाग ले सकेगा।
3. ठेकेदार फार्म के खण्ड प्रभारी व चक प्रभारी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।
4. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नही करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र मे वह संदिग्ध व्यक्तियों को नही रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा । उसके अनुसार ही उन्हे कार्य टोकन जारी किया जायेगा। यदि ठेकेदार या उसके कामगार आवंटित क्षेत्र के अलावा फार्म परिसर मे खड़े शीशम, कीकर व अन्य प्रजातियों के पेड़ पौधों को काटते एंव ले जाते हुए पकड़े जाते है, तो आवंटित कार्य को रद्द करते हुए, ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
5. खडे पेड़ो की 8–10 फुट ऊंचाई तक 4 ईन्च मोटी लकड़ी की छंगाई करके लकड़ी ले जाना होगा। अग्रिम रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेकर ले जाना होगा। दर प्रति क्विण्टल फार्म में जमा करानी होगी।
6. ठेका स्वीकृत होने पर कार्य संबंधित चक प्रभारी द्वारा चिन्हित जगह से कार्य शुरू करना होगा।
7. खडे पेड़ों को ले जाने के कार्य का क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
8. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। कटी हुई लकड़ी को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य सायं 5 बजे से पूर्व करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे ट्रैक्टर, ट्राली खराब होने पर निदेशक महोदय की स्वीकृति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
9. तौल की गई लकड़ियों की ट्राली को कटाई स्थान/फार्म क्षेत्र से तुरन्त बाहर निकालना होगा। तौल फार्म के खण्ड न. 1 के ठेकेदार को खण्ड न. 1 के धर्मकांटे व खण्ड़ 2 व 3 के ठेकेदारों को खण्ड न0 2 स्थित धर्मकांटे पर ही करवाना होगा। यदि इनमें से कोई खराब होता है तो उसके लिए निदेशक महोदय से स्वीकृति के बाद ही धर्मकांटे का इस्तेमाल किया जा सकें।
10. यदि ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म क्षेत्र में खड़े शीशम, कीकर व अन्य प्रजातियों के पेड़–पौधों का कार्य के दौरान यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका भी रद्द किया जा सकेगा।
11. ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संतोषजनक ढ़ंग से नही किया जाता है अथवा नियम एंव शर्तो का पालन नही करता है तो उसका आवंटित कार्य तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर ली जायेगी और उसका कार्य, उस पर आने वाली लागत खर्च एवं जोखिम दूसरे पार्टी से करवाया जाएगा तथा उसकी भरपाई/वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी।
12. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 5 (पांच) दिनों मे शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. पहले रिलीज आर्डर लेना होगा उसके बाद कटी हुई लकड़ी फार्म के धर्म कॉटें पर तुलवाकर ले जाना होगा।
14. प्रतिदिन 50 से 100 क्विण्टल लकड़ी को तौलकर ले जाने का कार्य करना होगा।
15. वेस्ट मैटिरियल, कॉटे इत्यादि को जलाकर साफ करना अनिवार्य होगा तथा इसके बाद ही आगे कार्य करने दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकेगा।
16. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि वर्ष 2020–21 तक रहेगी। जो कि आपसी सहमति के बाद तीन माह के लिए बढाई जा सकती है।
17. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार की होगी, इसके लिए फा कतई जिम्मेदार नहीं होगा । कार्य के यदि ठेकेदार के श्रमिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई हादसा होता जाता है तो उसव जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
18. कार्य स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार 500/– रूपयें के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।
19. यदि ठेकेदार कार्य बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका नाम फार्म की डीबार(Debar)सूची में डाल दिया जायेगा।

20. पहचान–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

21. सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कर इस कार्य पर देय होगा, तो खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

22. ऊपर दिए गये परिदिष्ट में किसी भी प्रकार के नियमों की परिभाषा, व्याख्या/वर्णन/अनुवाद निर्देशक केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ द्वारा दी जाएगी जो र्स्वमान्य होगी।

23. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।